समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर, शिविर भोपाल

निग/2017-III/16 प्र0क0 : पुनर्रावलोकन............../16 राजगढ़

(1) **श्रीमति गोकुलबाई** पत्नि स्व0श्री दिनेश
(2) **सुनील** पुत्र स्व0श्री दिनेश
(3) **अनिल** पुत्र स्व0श्री दिनेश
(4) **बंशीलाल** पुत्र श्री रामलाल
निवासीगण ग्राम–टप्पा कुरावर, तह0–नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म0प्र0) ---- **पुनर्रावलोकनकर्ता**

विरूद्ध

(1) **गोविंद प्रसाद** पुत्र श्री बैजनाथ
(2) **श्रीमति मंजूदेवी** पत्नि श्री कैलाशराज,
(3) **दिनेश** पुत्र श्री पन्नालाल
(4) **शिवचरण** पुत्र श्री लालाजी
निवासीगण ग्राम–टप्पा कुरावर, तह0–नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म0प्र0) ---- **प्रत्यर्थीगण**

(66)
श्री मेहरबान सिंह अभि0 द्वारा आज दि0 11/2/16 को प्रस्तुत

11/2/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनर्रावलोकन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

पुनर्रावलोकनकर्ता (प्रार्थीगण) माननीय न्यायालय के निगरानी प्रकरण प्र0क0–आर.343–III/15 राजगढ़ में पारित आदेश दिनाँक 27.11.2015 से दु:खित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार यह पुनर्रावलोकन समयावधि में प्रस्तुत है।

9/3/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1017–तीन/2016 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–9–2016	आवेदक की ओर से रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27–11–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 343–तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 27–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	